



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

1074

दिनांक 05/06/21

कमान / म.प्र. नि. वि. वि. (आयोग) / न्यायना / भोपाल

प्रति,

कुसुमधिव

मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय,

राठीबढ़, भोपाल।

विषय- मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय राठीबढ़ भोपाल को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में सीट संख्या की वृद्धि बाबत।

संदर्भ - आपका पत्र क्रमांक 71 दिनांक 22.12.2020

मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय राठीबढ़ भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीट संख्या के आतिरिक्त सीटों की वृद्धि के संबंध में सर्वोच्च पत्र के माध्यम से प्राप्त विस्तृत प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 अध्यासंशोधित 2013 एवं 2018 की धारा 6(ख) में विनिर्दिष्ट प्रस्तावों के अंतर्गत गठित निदेशक समिति के प्रतिवेदन को आयोग की 168 वीं सभा की बैठक दिनांक 20.05.2021 के एजेण्डा क्रमांक क्रमांक (168)-09 में विचारपूर्वक प्रस्तुत किया गया। जिसमें पूर्ण विचारपूर्वक सिरे से नये निम्न के अनुक्रम में मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय राठीबढ़ भोपाल को उनके मुख्य परिसर में संचालित शैक्षणिक विभागों में निम्नलिखित तालिका में उचित पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2020-2021 से संचालित करने की अनुमति निम्न कर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

S no.	Courses	Ordinance No.	Approved Intake
1	MBA (Entrepreneurship)	41	50
2	MBA (NGO Management)	41	50
3	MBA (Hospital Administration)	41	60
4	MBA (banking insurance)	41	50
5	MBA (information technology)	41	50
6	MBA (Retail Management)	41	50
7	Diploma in Agriculture	54	240
8	Ph.D (Education)	47	As per availability of qualified guide


28/6/21

श्रीवाघल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय राठीबाड़ भोपाल को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति एवं पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों में सीट संख्या की वृद्धि बाबत

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीट संख्या में वृद्धि हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर आयोग की सभा में पूर्ण विचार विमर्श उपरान्त निम्नानुसार सीटों की वृद्धि प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

Permission for increase in intake in Computer Applications Course from Session 2020-21

S.No.	Course Name	Ordinance No.	Existing Intake	Additional Intake permitted	Total Intake
1	DCA	22	120	160	280
2	PGDCA	23	120	160	280

नोट:-

1. एम.बी.ए. कोर्स में अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में यदि पूर्व में अधिनियम की बाबत (अंश) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो तब तक पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार अनुमति प्राप्त की जाए।

पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शर्तें :-

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबंधित विनियामक परिषदों के मातृसंघों के अनुसार शैक्षणिक स्टॉक की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाइन के अनुसार दिये जाएंगे।
3. विश्वविद्यालय अनुपाल आयोग एवं संबंधित विनियामक परिषदों (ए.आई.सीटी एवं आई.सी.ए.एच.) द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाइन/ चर्चापत्रों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
4. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र. नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
5. विश्वविद्यालय अनुपाल आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा तथा तैय्य प्रत्यापन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
6. वार्षिक पाठ्यक्रमों हेतु मन्व्य परिषदों (एन.बी.ए.) से रैकिंग/ मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
7. नेशनल इंस्टिट्यूशनल रैकिंग फंडमेंट (एन.आई.आर.एफ.) हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप संख्या एवं संबंधित पाठ्यक्रमों की रैकिंग हेतु आवेदन करना होगा।
8. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टॉक की नियुक्ति की जाना अनिवार्य होगा।
9. यू.जी.सी. के प्राक्तानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों की अंकसूची, डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संभारित करना होगा।
10. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाने पर एन.आयोग द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पायी जाने पर निम्नानुसार अनुमति निरस्त की जाएगी।

(विवरित म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग द्वारा अनुमोदित)

(**डॉ. जे.पी. राठोड़**)
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

कीमत दिनांक _____

पृ. क्र. _____ उद्यान/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2021

1. तैय्य सहायक के माध्यम से अवेक, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल
2. तैय्य नसी

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 723

11/अदिस/1

दिनांक 10/7/20

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संमालन) अधिनियम 2007 संघासंशोधित 2013 एवं 2016 में विभिन्न विद्यार्थियों के उत्तरगत आयोग की 157वीं सभा दिनांक 04/06/2020 में एजेन्डा क्रमांक (157)-6 में विरोध के अनुमोदन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश प्रोवेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल को उनके मुख्य परिचर में स्थित शैक्षणिक विभागों एवं शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में संचालित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

New Proposed Courses.

Faculties	Department	Course	Seats
Faculty of Engineering & Technology	Agriculture and Food Engineering	B. Tech (Agriculture Engineering)	50
		M. Tech (Agriculture Engineering)	00
		Ph. D (Agriculture Engineering)	As per Availability of Seats
	Mining Engineering Architecture & Planning	B. Tech (Mining Engineering)	50
		B. Arch (Bachelor of Architecture)	50
Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences	Retail Engineering Arts & Design	B. Tech (Retail Engineering)	00
		Bachelor of Fashion Design (B.F.D.)	100
	Philosophy and Social Science	B.A. (Plan)	100
		Department of Arts	M.A. (Psychology)
	Journalism and Mass Communication	M.A. (Journalism & Mass Communication)	30
Ph. D (Mass Media & Communication)		As per Availability of Seats	
Faculty of Education	Department of Education	M.A. Education	50
Faculty of Management	Management	M.B.A.	100
		M.B.A.	90
		B.A. Management	As per Availability of Seats
		Ph. D (B.A. Management)	As per Availability of Seats
		M.B.A.	60
		Ph. D (Agriculture Management)	As per Availability of Seats
Faculty of Agriculture, Science and Technology	Agriculture	M. Sc. Agriculture (Plant)	30
		M. Sc. Agriculture (Horticulture)	30
		M. Sc. Agriculture (Food Tech)	30
		M. Sc. Agriculture (Food Tech)	30
		M. Sc. Agriculture (Dairy Tech)	30
		M. Sc. Agriculture (Dairy Tech)	30
		M. Sc. Agriculture (Agri Extension)	30
		M. Sc. Agriculture (Agri Economics)	30
Faculty of Basic and Applied Science	Department of Life Science Department of Physical and Applied Science	B.Sc. Plant (Life Science)	60
		B.Sc. Plant (Physical Science)	30
		Bachelor of Agriculture & Mathematics (B.A.M)	60
		Bachelor of Graphic Design (B.G.D.)	100

शर्तें :-

1. यूजीसी एवं संबंधित विनियामक परिषदों जैसे एन सी टी ई, ए आर सी टी ई, काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सि. सं. सं. - 4

महान्यायक प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातिबक, भोपाल द्वारा प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति।

2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार अहर्तायारी शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाइडलाइन्स के अनुसार दिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन्स / मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र. नि. वि. वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली में निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा तथा नेक से प्रभावजन एवं सूचकांक अनिवार्य करवाना होगा।
7. अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से एकेडेंटिशन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
8. यूजीसी के प्राक्तानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.सी. में) संचारित करना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एन. निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की तत्पर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जायेगी।


सचिव

पृष्ठकम क्रमांक 324 म.प्र. नि. वि. वि. वि. आयोग, भोपाल

दिनांक : 10/07/2020

प्रतिलिपि:- 1. कुलसचिव, महान्यायक प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातिबक, भोपाल (म.प्र.)
2. अध्यक्ष, म.प्र. नि. वि. वि. वि. आयोग को सूचनाार्थ।


सचिव



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्रमांक 568/P. म.प्र. वि. वि. वि. आयोग, भोपाल

दिनांक 26/06/2018

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम द्वितीय संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 9(क) एवं संशोधित अधिनियम 2016 की धारा 9(ख) में दिये गये प्रावधानों के अध्याधीन गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन पर आयोग की 130वीं सभा दिनांक 26/06/2018 एजेण्डा क्रमांक (130)-6(II) से लिए गये निर्णय के आधार पर मध्यांचाल प्रादेशिक विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में पूर्व से संचालित निम्नलिखित संस्थानों को विश्वविद्यालय की संगठक इकाई के रूप में सविलियन पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित प्रवेश हेतु स्वीकृत संख्या की अनुज्ञा इस शर्त के अध्याधीन प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन में मानक संस्थाओं, केंद्रीय एवं राज्य शासन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013 में प्रावधानों का पूर्ण पालन करेगा :

1. पूर्व में संचालित संस्थान पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड साइंस, पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पटेल इंस्टीट्यूट फार्मेसी, पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पटेल कॉलेज ऑफ ली को संगठक इकाई के रूप में सविलियन।
2. नये विभाग / कक्षा संख्या।

Faculty	Department	Course	Intake
Faculty of Engineering Technology	Mechanical Engineering	Diploma B. Tech	60 120
		M. Tech (Thermal) PhD	12 As per availability of seats
	Electronics & Communication Engineering	B. Tech M. Tech (Digital Communication) PhD	120 30 As per availability of seats
		Computer Science & Engineering	B. Tech M. Tech (CSE) PhD
	Civil Engineering	Diploma B. Tech M. Tech (TM & Structure Engg) PhD	120 120 18 (Each) As per availability of seats
Electrical & Electronics Engineering		Diploma B. Tech	60 120
Faculty of Agriculture Science	Agriculture Science	B. Sc. (V) Agriculture	180

Polyp

Faculty of Science	Life Sciences	B.Sc.(Hon.) M.Sc. (Botany) M.Sc. (Zoology) M.Sc. (Bio - Technology) M.Sc.(Environmental Science) M. Phil Ph.D.	60 30 30 30 30 30 18 (Each) As per availability of seats
	Physical & Applied Sciences	B.Sc.(Hon.) M.Sc. (Applied Chemistry) M.Sc. (Geography) M.Sc. (Physics) M.Sc. (Mathematics) M.Sc. (Statistics) M. Phil PhD	120 30 30 30 30 30 18 (Each) As per availability of seats
	Information & Technology	DCA PGDCA B.Sc. (CS) B.Sc. (IT) BCA M.Sc. (CS) M.Sc. (IT) Ph.D.	120 120 60 60 120 30 30 As per availability of seats
Faculty	Dept.	Course	Intake
Faculty of Management studies and Commerce	Management Studies	BBA MBA Ph.D.	120 180 As per availability of seats
	Commerce	B.Com(Hon.) B.Com with Computer Application M.Com M. Phil Ph.D.	60 60 30 18 As per availability of seats
	LAW	BA LLB (H)	120
Faculty of Pharmacy, Nursing and Paramedical Sciences	Pharmacy	B. Pharm M. Pharm D. Pharm Ph.D.	100 36 60 As per availability of seats
	Nursing	GNM B.Sc.(N)	40 50
Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences, Education, Physical Education and Vocational Studies	Linguistic	B.A.(Hon.) M.A. (Hindi) M.A. (English) M.A. (Sanskrit) M. Phil Ph D	60 30 30 30 18 (Each) As per availability of seats
	Department of Social Sciences	B. A.(Hon.) M.A. (History) M.A. (Political Science)	120 30 30 30

Aditya

	M.A. (Geography)	30
	M.A. (Sociology)	30
	M.A. (Economics)	30
	MSW	18
	M. Phil	As per availability of seats
	Ph.D.	As per availability of seats
Education	B.ED	100
Vocational Education	Certificate	As ordinance 34


सचिव

पृष्ठकल कमांक 588/8 म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

दिनांक 26/6/2018

प्रतिलिपि—कुलसचिव, मल्याचल प्राफेशनल विश्वविद्यालय, रातीबड, पोस्ट रातीबड सहसील हुजूर जिला भोपाल।


सचिव